संख्या-81/2017/1426/26-3-2017-4(25)/92-टी0सी0

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 मई, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत 50 प्रतिशत भारत सरकार सहायतित समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पी0सी0आर0 सेल का गठन योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017, में निहित व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का उत्पीड़न संबंधी घटनाओं के संबंध में प्रभावी कार्यवाही के उददेश्य से समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन शासन स्तर पर गठित पी0सी0आर0 सेल के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान के रूप में प्राविधानित धनराशि रूपया-27.56 लाख (रूपया-सत्ताईस लाख छप्पन हजार मात्र) के सापेक्ष केन्द्रांश की प्रत्याशा में 25 प्रतिशत धनराशि रूपया-6.89 लाख (रूपया-छः लाख नवासी हजार मात्र) निम्नलिखित विवरण के अनुसार शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रूपये में)

योजना/मद का नाम	आय व्ययक प्राविधान 2017-18	स्वीकृत की जा रही धनराशि
अनुदान संख्या-83 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण- आयोजनागत- 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- 0110-समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पी0सी0आर0 सेल का गठन (के.50/रा.50-के.रा.) 01-वेतन-	14.24	3.56

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

03-महगाई भत्ता-	0.71	0.1775
04-यात्रा व्यय-	0.50	0.125
06-अन्य भत्ते-	1.80	0.45
07-मानदेय-	0.30	0.075
08-कार्यालय व्यय-	0.60	0.15
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.65	0.6625
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1.00	0.25
42-अन्य व्यय	3.15	0.7875
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.00	0.25
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय-	0.75	0.1875
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.86	0.215
कुल योग-0110	**27.56**	**6.89**

(रूपये छः लाख नवासी हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में कोई भी धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है। व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/ बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में दिये गये दिशा- निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से उतनी धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि का तुरन्त व्यय किये जाने की आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक धनराशि का आहरण कदापि न किया जाये। व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र समय से महालेखाकार/इस अनुभाग को उपलब्ध कराया जायेगा और जो धनराशि अवशेष बच जाये उसे शासन को समय से समर्पित किया जायेगा।

(3) धनराशि के व्यय हेतु वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0बजट मैनुवल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये। धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

को पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्सियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलों में भारत सरकार/शासन की पूर्व अनुमति/स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त कर ही व्यय किया जायेगा।

2- इस धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े -01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0110-समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पी0सी0आर0 सेल का गठन (के.50/रा.50-के.रा.) के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/ बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में निहित निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

संख्या-81/2017/1426 (1)/26-3-2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार,(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
10. गार्डफाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in